अपील / आरटीआई / 76 / 2025

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

राजीव कुमार निवासी बरोलिया गार्डन के पीछे, वार्ड नं. 36, हिन्डौन जिला करौली राज0 322230 मो. नं. 7597154289

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 13.11.2025**

राजीव कुमार निवासी बरोलिया गार्डन के पीछे, वार्ड नं. 36, हिन्डौन जिला करौली राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील सं0 060570685795439 से इस आश्य की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी / अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 2025 / 925 दिनांक 10.11.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना का जबाब पत्र क्रमांक एल.आर. / 25 / 4120 दिनांक 12.11.2025 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी / प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई हैं, प्रार्थी ने चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब पत्रांक एल.आर. / 25 / 4120 दिनांक 12.11.2025 में उल्लेख किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 76 / 2025
राजीव कुमार बनाम लो.सू.अ. तहसीलदार बयाना

गई सूचना सम्बन्धी कोई रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। इस बाबत् कार्यालय के पत्रांक एलआर / 25 / 3806 दिनांक 10.10.2025 से अप्रार्थी को सूचित कर दिया गया है। अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बयाना के उक्त जबाब एवं संलग्न पत्रादि से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में अप्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक एलआर / 25 / 3806 दिनांक 10.10.2025 से सूचित किया जा चुका है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना दिया जाना लम्बित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बयाना को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर